

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

(जी-3 राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:प.8(ग)(35)नियम / डीएलबी / 2021 / 8062-8068

दिनांक:- 10/07/2024

उपनिदेशक (क्षेत्रीय)
स्थानीय निकाय विभाग
समस्त राजस्थान।

विषय:-लम्बित RoW आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कराने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान नगरपालिकाओं के स्तर पर लम्बित RoW आवेदनो का समय पर निस्तारण नही होने के कारण मुख्य सचिव महोदय द्वारा गहरी नाराजगी जतायी गई है। जिसके सम्बंध में आपको विभागीय पत्र क्रमांक 11183-11204 दिनांक 24.05.2023, 14520-14541 दिनांक 14.07.2023 7560-7581 दिनांक 21.08.2023, एवं 2674-2968 दिनांक 07.03.2024 द्वारा लम्बित RoW आवेदनों को निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आदिनांक तक इस सम्बंध में आप द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपसे सम्बंधित लम्बित (RoW) आवेदनो को दिनांक 15.07.2024 से पूर्व निस्तारित कर विभाग को की गई कार्यवाही से अवगत करावे।

(सुरेश कुमार ओला)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.8(ग)(35)नियम / डीएलबी / 2021 / 8069-73

दिनांक:- 10/07/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. सिस्टम ऐनालिस्ट एवं संयुक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Document certified by SURESH KUMAR
O/A <sureshola5788@gmail.com>.

Digitally Signed Suresh
Kumar O/A
Designation Director
Date :09-07-2024 05:17:34
8802277